

तलत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकर लाल

बनाम

शंकर लाल

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 264/2025

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6.6.25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती शंकर लाल

पिता श्री शंकर लाल नाई

निवासी- सिन्दवड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सिन्दवड़ी

प.र. सामरी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

133	379	464	465
0.48	0.53	0.86	0.15

कुल कीता 04 कुल रकबा 2.02 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सिन्दवड़ी (सामरी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 133 379 464 465 0.48 0.53 0.86 0.15

कुल कीता 04 रकबा 2.02 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रूपये अक्षरे एक हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीन देवल)  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)